

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 07 अप्रैल, 2021

एन.वी. रमण

राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकटरमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण 24 अप्रैल, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश पद के मामले में देश के निवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सफारिश की जाती है। द्वितीय न्यायाधीश वाद में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। केंद्रीय वधिमंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सफारिश प्रधानमंत्री को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।

वशिव स्वास्थ्य दविस

वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 07 अप्रैल को वशिव स्वास्थ्य दविस का आयोजन किया जाता है। इस दविस का प्राथमिक उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इस दविस की थीम है- 'सभी के लिये नषिकष और स्वस्थ वशिव का निर्माण'। इस दविस के माध्यम से वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO) के इस संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्त को जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। कोरोना वायरस महामारी ने स्वास्थ्य लाभ को सीमित कर लोगों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा की दशा में धकेल दिया है तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को और बढ़ा दिया है। वशिव स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गई थी और इस दविस के आयोजन की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। बीते 50 वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व और शिशु देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने की दशा में वशिव स्वास्थ्य संगठन ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।

समन्वति स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'समन्वति स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म' (IHIP) का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म मौजूदा 'समन्वति रोग निगरानी कार्यक्रम' का अत्याधुनिक और अपडेटेड रूप है। इसी के साथ भारत वशिव का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने बीमारियों की निगरानी के लिये ऐसी परषिकृत प्रणाली अपनाई है। जहाँ एक ओर पुराने कार्यक्रम के तहत केवल 18 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई थी, वहीं नए प्लेटफॉर्म में 33 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से रोगों के बारे में डिजिटल रूप में आँकड़े तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकोप की जाँच संबंधी गतिविधियों की शुरुआत और निगरानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही की जा सकेगी। साथ ही इसे आसानी से अन्य निगरानी कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

अंबोली कषेत्र: जैव वविधिता वरिसत स्थल

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सधुदुर्ग ज़िले में अंबोली कषेत्र को जैव वविधिता वरिसत स्थल घोषित किया है। इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली ज़िले में अल्लापल्ली, जलगाँव में लैंडोर खोरी पार्क, पुणे में गणेश खडि, सधुदुर्ग ज़िले में मरिसिटिका दलदल वनस्पति को जैव वविधिता वरिसत स्थलों के रूप में घोषित किया है। ज्ञात हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्त्ताओं के एक समूह ने सधुदुर्ग ज़िले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी (Fresh Water) में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति- शसिटुरा हरिण्यकेशी की खोज की थी। 'शसिटुरा हरिण्यकेशी', मीठे जल में पाई जाने वाली 'शसिटुरा' मछली की एक दुर्लभ उप-प्रजाति है। शोधकर्त्ताओं का मत है कि आसपास की मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों के कारण यह दुर्लभ प्रजाति जल ही वलुप्त हो सकती है, ऐसे में इसके संरक्षण के लिये इस कषेत्र को जैव वविधिता वरिसत स्थल घोषित किया गया है।

